

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1876 / 2008 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, प्रतिकरापवचन, झुन्झुनूँ

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री मोदी स्पिकलर्स प्रा.लि., जयपुर
जरिए वाहन चालक श्री प्रेम सिंह वाहन चालक 14सी / 7675

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री वैभव कासलीवाल
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से
अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 20.10.2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवचन, झुन्झुनूँ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 68/आरएसटी/2003–04/जी/ 2004–05 में पारित दिनांक 20.12.2007 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 33,723/- को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.10.2003 को वाहन संख्या आरजे—14सी / 7675 को जयपुर से झुन्झुनूँ व चिडावा के लिए पी वी सी पाईप परिवहनित करते हुए रेल्वे स्टेशन झुन्झुनूँ पर रोक कर चेक किया गया। वक्त चैकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि प्रेषक फर्म मैसर्स श्री मोदी स्पिकलर्स प्रा.लि. संसार चन्द्र रोड, जयपुर द्वारा जारी बिल संख्या 445 व 444 में 1998 की बिक्री कर प्रोत्साहन छूट योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित वर्ष में 80 प्रतिशत कर की छूट है किन्तु अपीलार्थी द्वारा बिल में 20 प्रतिशत देय कर जार्च नहीं किया गया है व समस्त माल के जारी बिलों में माल को (Exempted) दर्शाया गया है। अतः इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड की जांच की गई। अपीलार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि वह लेखा पुस्तकों में 20 प्रतिशत के बराबर

कर की राशि का कर खाते इन्द्राज करता है तथा उस राशि को उसके द्वारा माहवारी कर के रूप में जमा कराया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किया जाकर अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के उल्लंघन किये जाने के आधार पर माल की कीमत रूपये 1,12,409.00 पर धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 33,723.00 आरोपित की गयी। उक्त शास्ति आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2007 पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अपास्त कर दी। अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 11.10.2003 को वाहन संख्या आरजे-14जी-7675 को चेक किया गया, जिसमें वक्त चेकिंग पी वी सी पाईप परिवहन किया जा रहा था। उनका कथन है कि परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी इकाई को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अन्तर्गत 80 प्रतिशत का लाभ स्वीकृत है परन्तु दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत इनवाईस संख्या 444 एवं 445 दिनांक 10.10.2003 में कर का 20 प्रतिशत राशि को जारी किये गये इनवाईस में अंकित नहीं किया है, जो करापवंचन की स्थिति को स्पष्ट करता है। उनका कथन है कि उक्त स्थिति स्पष्ट करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी इकाई को नोटिस जारी किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए इनवाईस संख्या 444 एवं 445 में कमशः अंकित राशि 60,891/- एवं 51518/- पर तीस प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 33,723/- आरोपित की, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2007 पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो अविधक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वाहन को चैक किये जाने पर वाहन चालक माल प्रभारी के द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल संख्या 444, 445 तथा मैसर्स रिया रोडवेज की बिल्टी संख्या 118 एवं 119 प्रस्तुत किये, जिसमें माल प्रेषक व प्रेषिति के नाम पते, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या आदि अंकित किये गये थे। उनका कथन है कि अपीलार्थी

कम्पनी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अंतर्गत 80 प्रतिशत कर की छूट मिली हुई है एवं बकाया 20 प्रतिशत कर चुकाया जाता है। प्रोत्साहन छूट 80 प्रतिशत के अलावा चुकाये जाने वाले 20 प्रतिशत कर का इन्द्राज अपनी बहीखातों में करता है एवं देय कर, बैंक में जमा कराता है। प्रस्तुत बिल में सैन्ट्रल एक्साईज की राशि बतायी जाकर माल का अलग मूल्य प्रदर्शित किया हुआ था। बिल में प्रदर्शित माल की दर 80 प्रतिशत बिक्री कर मुक्त के अलावा जुड़ी हुयी थी तथा आरएसटी/सीएसटी कर मुक्त अंकित किया हुआ था व चुकाये जाने वाली 20 प्रतिशत कर की राशि के इन्द्राज की प्रतियां कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थी। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा बिल के अंदर मूल्य में सभी प्रकार के कर आदि सम्मिलित करते हुए राशि वसूल की जाती है तथा खतौनी के समय उक्त सभी को अलग-अलग पृथक से दर्शा दिया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में सैल्स टैक्स को टर्न ओवर का भाग नहीं माना जा सकता तथा पृथक से कर का दायित्व भी नहीं बनता। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 1988(3) आरटीजेएस 97 भंवरलाल फोटोवाला बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को उद्धरित किया। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रकार परिवहनित माल के साथ में माल से संबंधित बिल, बिल्टी उपलब्ध थे, जिसमें माल के प्रेषक व प्रेषिति के नाम पते, माल की तादाद, किस्म, मूल्य बिक्री कर प्रोत्साहन योजना की मोहर, जारी प्रमाण पत्र संख्या आदि स्पष्ट रूप से अंकित किये हुए थे। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक व उचित दस्तावेजों के द्वारा माल परिवहनित किया गया है, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी पर अनुचित रूप से शास्ति आरोपित की है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार वक्त चैकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि प्रेषक फर्म मैसर्स श्री मोदी स्पिक्लर्स प्रा.लि. संसार चन्द्र रोड, जयपुर द्वारा जारी बिल संख्या 445 व 444 में 1998 की बिक्री कर प्रोत्साहन छूट योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित वर्ष में 80 प्रतिशत कर की छूट प्राप्त है किन्तु व्यवहारी द्वारा बिल में 20 प्रतिशत देय कर जार्च नहीं किया गया है व समस्त माल के जारी बिलों में माल को (Exempted) दर्शाया गया है। अतः इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की अनुपालना में व्यवहारी द्वारा जवाब पेश कर बताया गया कि वह लेखा प्रस्तकों में 20 प्रतिशत के बराबर कर की राशि का

कर खाते इन्द्राज करता है तथा उस राशि को उसके द्वारा माहवारी कर के रूप में जमा कराया जाता है। उक्त जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए माल की कीमत रु. 1,12,409/- पर अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 33,723/-आरोपित की। उक्त आरोपित शास्ति के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपार्त कर दिया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने के पश्चात, नोटिस के जवाब में 20 प्रतिशत देय कर राशि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए देय बिक्री कर का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में किये जाने सम्बन्धी प्रतियों प्रस्तुत की गई थी(जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं),जिनमें स्पष्ट रूप से बिल की राशि व उनमें निहित देय कर व सरचार्ज की राशियों को अलग से प्रदर्शित किया व बिक्री कर खाते में भी इनका इन्द्राज किया हुआ था। उक्त निष्कर्ष से पूर्व महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने विधिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है,जो अविधिक एवं न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) निम्न प्रकार है :—

78. Establishment of check-post and inspection of goods while in movement. – (1) The Commissioner may, with a view to prevent or check avoidance or evasion of tax, by notification in the Official Gazette, direct the setting up of a check-post at such place for such period as may be specified in the notification, and every officer or official who exercises his powers and discharges his duties at such check-post or barrier by way of inspection of documents produced and goods being moved shall be its Incharge.

(2) The driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall—

(a) stop carry with him a goods vehical record including "challans" and "biltiers",of sale or despatch memos and prescribed declaration forms;

वक्त चेकिंग उपरोक्त अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) के अन्तर्गत विहित सभी दस्तावेज यथा बिल संख्या 444 एवं 445 दिनांक 10.10.2003 एवं बिल्टी संख्या 118 एवं 119 दिनांक 10.10.2003 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

—5—अपील संख्या —1876/2008/जयपुर

किये गये थे, जिससे अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) के प्रावधानों उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) का उल्लंघन मानकर शास्ति आरोपित करना अविधिक है। यदि कर निर्धारण अधिकारी को उक्त प्रकरण में करापवंचन का सन्देह था तो उन्हें प्रत्यर्थी व्यवहारी के नियमित कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करना चाहिए था, क्योंकि विवादित बिन्दु का निस्तारण नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ही निर्णीत किया जा सकता था। उक्त स्थिति के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त दस्तावेजों की जांच किये बिना ही शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है, जिसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो विधिक है।

प्रकरण के उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीनी आदेश में विचार करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2007 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का औचित्य नजर नहीं आता है। फलतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2007 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(सुन्धन शर्मा)
सदस्य